

तारीख
जो इस
तालीम
री हुए

मु.नं० 5/2015 जा०पत्र

13-9-17 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी
आर्थिक वकलात एवं प्राथमिक अनुपारिषत
है। पत्रावली पेशी दिनांक 13-10-17
को पेश की।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

13-10-17 पत्रावली पेश हुई। पिछली आर्थिक वकलात
पं. खेरवाड़ा पर आंगनवाड़ी के आस्था
सहयोगी के अपन हुए बँक में चलत
होने से पत्रावली दिनांक 22-11-2017
को पेश की।
की

22-11-17 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में प्राथमिक
व प्राथमिक आर्थिक वकलात अनुपारिषत है।
पत्रावली में प्राथमिक एवं प्राथमिक आर्थिक वकलात
को तीन बार आवाज लगावाई गई।
फिर भी उपारिषत नहीं हुई। पत्रावली
में प्राथमिक लम्बे समय से अनुपारिषत है।
पत्रावली में आदेश 9 निम्न 3 के तहत
रु. 6 म. हजार 300 रु. की में वाद
स्वारीज किया जाता है। निर्णय खुले
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
पेशनाम रु. 2000 है। दर्ज नाम पर से कम
होकर दाखिल दफतर है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट